

दिनांक-18.11.2021 को बी०एड० महाविद्यालयों को संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने हेतु गठित समिति की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारीगण उपस्थिति हुए:-

1. श्री ए० मुथुकुमार, निदेशक, उच्च शिक्षा।
2. अवर सचिव (स्थापना), उच्च शिक्षा।
3. डॉ० विभा पाण्डेय, उप निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च शिक्षा।

2. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के पत्रांक-1515 दिनांक-17.11.2021 के द्वारा प्राप्त बी०एड० महाविद्यालय को बी०एड०/एम०एड० पाठ्यक्रम के संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव, एन०सी०टी०ई० के पत्रांक- पत्रांक-64664-64669 दिनांक-12.11.2021 एवं WP(C) No.-12057/2021 Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers' Training Institute & Anr. Vs National Council for Teacher Education & Anr. में दिनांक-27.10.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में समयक विचारोपरत सर्वसम्मति से समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

क्र०	बी०एड० महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का नाम एवं पता	शैक्षणिक सत्र /सीट	समिति का निर्णय
✓	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers' Training Institute, Lupungdih, Chandil.	2021-23 एवं 2022-24 के लिए (100 सीट)	सत्र 2021-23 एवं 2022-24 के लिए बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति दी जाती है।

धन्यावाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

(सुधीर कुमार) (डॉ० विभा पाण्डेय) (अरुण कुमार) (ए० मुथुकुमार)
 प्रशाखा पदाधिकारी उप निदेशक, उच्च शिक्षा। अवर सचिव (स्था०)उ०शि० निदेशक, उच्च शिक्षा।
 जापांक-1562 राँची, दिनांक-18/11/2021

प्रतिलिपि:- कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/उप परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पत्र, नामकुम, राँची एवं प्राचार्य/सचिव, Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers' Training Institute, Lupungdih, Chandil. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याध्यक्षित।

(विभा पाण्डेय)
 18.11.21

उप निदेशक, उच्च शिक्षा।



CHHATISGARH WEST SINGHBHUM
JHARKHAND PIN- 833201
CONTACT NO.- 06582-255274

Ref. No. 221/2... 558.../24

Date 01-06-24

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के प्रत्रांक: DHESec2/संयोजन-27/2020/HTESD-988 दिनांक 04/05/2023 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट के प्रावधानों के आलोक में कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्न महाविद्यालयों को B.Ed पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2023-25, 2024-26, & 2025-27 के लिए शर्ताधीन अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	सत्र	अधिसूचना
1	Aashu Kishu Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Lupungdih	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
2	JKM College of Management Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
3	D.B.M.S. College of Education Kadma, Jamshedpur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
4	Rambha College of Education, Gitilata	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
5	Institute for Education, Bijay, Seraikella	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
6	Swami Vivekanada College of Education, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
7	Madusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
8	Srinath College of Education, Adityapur, Jamshedpur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
9	Karim City College, Jamshepur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण
10	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संयोजन दीर्घाकरण

शर्त:-

- महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाएगा।
- महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर/ NCTE, नयी दिल्ली, द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत पनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें, विश्वविद्यालय द्वारा संयोजन दीर्घाकरण की अधिसूचना जानी होने के 06 महीने के अंदर NAAC portal पर IQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संयोजन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औपिक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संयोजन समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।

अभिषद के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

दिनांक 01-06-24

प्रापांक KU/R/558/24

प्रतिलिपि

- प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
- परीक्षा नियंत्रक/ उच्च कुलसचिव को सूचनाार्थ एवं कार्यार्थ।
- कुलपति/प्रतिकुलपति के सहायक को उनके सूचनाार्थ।
- संयोजन में।

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा